

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

सेवा में,

महालेखाकार,
वीरचन्द पटेल पथ,
पटना।

विषय :-

दशरथ मांझी श्रमिक कौशल विकास केन्द्र, पटना में दिनांक-21.09.2024, 28.09.2024 एवं 05.10.2024 को राज्य के प्रत्येक अंचल के 01-01 डाटा इन्ट्री ऑपरेटर को मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित करने हेतु आयोजित एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित ऑपरेटरों को अनुमान्य दूरी के आधार पर यात्रा भत्ता हेतु कुल राशि ₹1,85,631/- (एक लाख पचासी हजार छः सौ इक्कतीस रुपये) मात्र व्यय की स्वीकृति।

आदेश :- स्वीकृत।

2. राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2024-25 में मुख्य शीर्ष-2029-भू-राजस्व-उपमुख्य शीर्ष-00, लघुशीर्ष-104 सरकारी सम्पदाओं का प्रबन्ध, उपशीर्ष-0001-राजस्व प्रशासन पर व्यय मांग संख्या-40 विपत्र कोड-40-2029001040001 के अन्तर्गत विषय शीर्ष-2003 प्रशिक्षण व्यय से विकलनीय होगा।

3. राज्य के प्रत्येक अंचल के 01-01 डाटा इन्ट्री ऑपरेटर को मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित करने हेतु आयोजित एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित ऑपरेटरों को अनुमान्य दूरी के आधार पर यात्रा भत्ता हेतु जिलावार संलग्न विवरणी के अनुसार राशि ₹1,85,631/- (एक लाख पचासी हजार छः सौ इक्कतीस रुपये) मात्र की स्वीकृति दी जाती है। आवंटन आदेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

4. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के समाहर्ता होंगे तथा राशि की निकासी संबंधित जिले के कोषागार से की जायेगी।

5. राशि की निकासी क्रम में एतद संबंधी वित्त विभाग, बिहार द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्र/आदेश/निदेशों का दृढ़ता पूर्वक पालन किया जायेगा।

6. राशि का विचलन किसी भी स्थिति में नहीं किया जायेगा।

7. स्वीकृत राशि के व्यय के पश्चात् व्यय विवरणी निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायी जाएगी तथा साथ ही उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा।

8. इसमें आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

9. प्रस्ताव में अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

अनु०-यथोक्त।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(अरुण कुमार सिंह),
सरकार के विशेष सचिव।

ई-मेल

ज्ञापांक-4/क्षेत्रस्था0 विविध (Deo's)-04-12/2021-.....(4)/रा0 पटना-15, दिनांक-
प्रतिलिपि:- वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/सभी जिला कोषागार
पदाधिकारी, बिहार (पटना को छोड़कर)/सभी समाहर्ता, बिहार (पटना को छोड़कर)/विभागीय
प्रशाखा-5 (बजट शाखा) को (आवंटन निर्गत करने हेतु) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु
प्रेषित।

ह0/-

(अरुण कुमार सिंह),
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-4/क्षेत्रस्था0 विविध (Deo's)-04-12/2021-143-.....(4)/रा0 पटना-15, दिनांक-25/3/25
प्रतिलिपि :- आई0टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को
विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

(अरुण कुमार सिंह),
सरकार के विशेष सचिव।

विवरणी

दशरथ मांझी श्रमिक कौशल विकास केन्द्र, पटना में दिनांक-21.09.2024, 28.09.2024 एवं 05.10.2024 को राज्य के प्रत्येक अंचल के 01-01 डाटा इन्ट्री ऑपरेटर को मास्टर ट्रेनर के रूप में आयोजित एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित ऑपरेटरों को अनुमान्य दूरी के आधार पर यात्रा भत्ता भुगतान हेतु जिलावार स्वीकृत राशि की विवरणी :-

क्र	जिला का नाम	उपस्थित DEO की संख्या।	प्रति अंचल से उपस्थित एक DEO की दर से यात्रा भत्ता के भुगतान हेतु राशि	कुल स्वीकृत राशि
1	कटिहार	15	630	9450
2	पूर्णियाँ	13	630	8190
3	जहानाबाद	7	150	1050
4	मुंगेर	9	408	3672
5	जमुई	10	384	3840
6	सुपौल	11	480	5280
7	वैशाली	16	90	1440
8	सीतामढ़ी	17	384	6528
9	नवादा	13	288	3744
10	शिवहर	5	336	1680
11	दरभंगा	18	384	6912
12	शेखपुरा	6	288	1728
13	लखीसराय	5	312	1560
14	समस्तीपुर	14	270	3780
15	कैमूर	11	528	5808
16	भागलपुर	16	600	9600
17	भोजपुर	11	210	2310
18	नालंदा	16	270	4320
19	गोपालगंज	14	336	4704
20	बेगूसराय	18	288	5184
21	सारण	19	300	5700
22	बाँका	11	600	6600
23	सहरसा	10	432	4320
24	प0 चम्पारण	18	456	8208
25	गया	23	300	6900
26	औरंगाबाद	11	336	3696
27	मधुबनी	21	432	9072
28	अरवल	5	210	1050

बक्सर	9	312	2808
किशनगंज	7	777	5439
रोहतास	17	384	6528
खगड़िया	7	408	2856
मधेपुरा	13	480	6240
मू० चम्पारण	27	360	9720
अररिया	9	714	6426
सीवान	19	312	5928
मुजफ्फरपुर	14	240	3360
कुल—			1,85,631 /—

(एक लाख पचासी हजार छः सौ इक्कतीस/रुपये)

82
24/3/25
(अरुण कुमार सिंह),
सरकार के विशेष सचिव।